>

Title: Need to make reporting of lost electronic communication equipment in police stations mandatory in order to prevent their misuse by anti-social elements.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं सरकार का ध्यान खोए हुए मोबाईल, लैपटॉप, आईपैड आदि उपकरणों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश भर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये उपकरण खो जाते या चोरी हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत लोग ही पुलिस में इसकी सूचना दर्ज कराते हैं। इन उपकरणों को इस्तेमाल आतंकवादी तत्वों द्वारा गलत तरीके से काम में लिए जाने की आशंका सदैव बनी रहती है। कई बार खोए हुए उपकरण चोरी, डकैती, आतंकवादी घटना में बरामद किए जाते हैं। अधिकांश लोग पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि पुलिस द्वारा इन उपकरणों को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं और यदि किन्हीं कारणो से पुलिस ढूंढ भी लेती है तो ऐसा मात्र 1 या 2 प्रतिशत ही होता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन इलैक्ट्रानिक नेटवर्क उपकरणों की खोने की सूचना देना अनिवार्य कर देना चाहिए तथा खोए हुए उपकरणों को आई.एम.ई.आई. नम्बर के आधार पर जल्द से जल्द ढूंढकर मालिक के पास पहुंचाए ताकि ऐसे उपकरणों के दुरूपयोग की भी कोई संभावना न रहे।